इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अगस्त 2020—श्रावण 29, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020

क्र. 9557-150-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ८ सन् २०२०

श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, २०२०

विषय-सूची
भाग एक
प्रारंभिक

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९४८ का ६३ तथा केन्द्रीय अधिनियम १९७० का ३७ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

भाग दो
कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

३. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९४८ का ६३ का संशोधन.

४. धारा २ का संशोधन.

भाग तीन
ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

५. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९७० का ३७ का संशोधन.

६. धारा १ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ८ सन् २०२०

श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, २०२०

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २० अगस्त, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, १९४८ और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

और यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) के परंतुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश प्राप्त किए जा चुके हैं.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

भाग एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, २०२० है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का ६३ तथा केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का ३७ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) तथा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) भाग दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

भाग दो
कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का ६३ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) (जो इसमें इसके पश्चात् इस भाग में मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) इसमें इसके पश्चात् इस भाग में उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम में, धारा २ में, खण्ड (ड) में,—

(एक) उप-खण्ड (एक) में, शब्द "दस या उससे अधिक" के स्थान पर, शब्द "पचास या उससे अधिक" स्थापित किए जाएं;

(दो) उप-खण्ड (दो) का लोप किया जाए.

भाग तीन

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का 37 का संशोधन.

५. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) (जो इसमें इसके पश्चात् इस भाग में मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) इसमें इसके पश्चात् इस भाग में उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा १ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम में, धारा १ में, उपधारा (४) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "बीस या उससे अधिक कर्मकार" के स्थान पर, शब्द "पचास या उससे अधिक कर्मकार" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "बीस या उससे अधिक कर्मकार" के स्थान पर, शब्द "पचास या उससे अधिक कर्मकार" स्थापित किए जाएं;

(तीन) परंतुक में, शब्द "बीस से कम कर्मकार" के स्थान पर, शब्द "पचास से कम कर्मकार" स्थापित किए जाएं.

भोपाल :
तारीख १७ अगस्त, २०२०

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त, 2020

क्र. -150-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 8 OF 2020

THE LABOUR LAWS (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

TABLE OF CONTENTS

Sections :

PART I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement;
2. Central Act No. 63 of 1948 and Central Act No. 37 of 1970 in their application to the State of Madhya Pradesh to be temporarily amended.

PART II

AMENDMENT OF THE FACTORIES ACT, 1948

3. Amendment of Central Act No. 63 of 1948 in its application to the State of Madhya Pradesh.
4. Amendment of Section 2.

PART III

AMENDMENT OF THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970

5. Amendment of Central Act No. 37 of 1970 in its application to the State of Madhya Pradesh.
6. Amendment of Section 1.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 8 OF 2020

THE LABOUR LAWS (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 20th August, 2020.]

Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Factories Act, 1948 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, in their application to the State of Madhya Pradesh.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

AND WHEREAS the previous instructions of the President have been obtained as requried by the proviso to clause (1) of Article 213 of the Constitution of India.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

PART I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Labour Laws (Madhya Pradesh Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Central Act No. 63 of 1948 and Central Act No. 37 of 1970 in their application to the State of Madhya Pradesh to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970) shall have effect subject to the amendments specified in Part II and III.

PART II

AMENDMENT OF THE FACTORIES ACT, 1948

Amendment of Central Act No. 63 of 1948 in its application to the State of Madhya Pradesh.

3. The Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Aendment of section 2.

4. In the principal Act, in section 2, in clause (m),—

(i) in sub-clause (i), for the words "ten or more", the words "fifty or more" shall be substituted.

(ii) sub-clause (ii) shall be deleted.

PART III

AMENDMENT OF THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970

Amendment of Central Act No. 37 of 1970 in its application to the State of Madhya Pradesh.

5. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of section 1.

6. In the principal Act, in section 1, in sub-section (4),—

(i) in clause (a), for the words "twenty or more workmen", the words "fifty of more workmen" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words"tewnty or more workmen", the words "fifty or more workmen" shall be substituted.

(iii) in proviso, for the words "workmen less than twenty", the words "workmen less than fifty" shall be substituted.

Bhopal :
Dated the 17th August, 2020

ANANDIBEN PATEL
Governor
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.